

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-77/20 (2020/00104) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. पप्पुनाथ पिता हीरानाथ जोगी निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नवरतन पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दलपतलाल पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. दिनेशकुमार पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मंजुदेवी पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुशीला पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. आशादेवी पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुन्दरबाई बेवा कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मदनलाल पिता गेहरीलाल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मुर्ति राधाकृष्ण मंदिर नाबाबे पुजारी भैरूलाल वैष्णव निवासी मण्डोल तहसील रायपुर
2. रोड़ा पिता हीरा बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भज्जा पिता हीरा बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. डालु पिता भुरा बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लेहरू पिता भुरा बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लरुमण पिता मांगीलाल बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. श्रवण पिता मांगीलाल बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लाडुलाल पिता मांगीलाल बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. दिनेश पिता कालुराम बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. भूरसिंह पिता घीसासिंह रावत निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. किशनसिंह पिता घीसासिंह रावत निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. विजयसिंह पिता घीसासिंह रावत निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम मण्डोल तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजियात खाता संख्या 165 में अकिंत आराजी संख्या 273 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 277 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 278 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 279 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 280 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 285 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 286 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 287 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 288 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 289 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 290 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 291 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 292 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 293 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 294 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 295 रकबा 0.10 है0, कुल किता 16 कुल रकबा 2.85 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ



प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 02.03.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 13.07.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डोल तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजियात खाता संख्या 165 में अंकित आराजी संख्या 273 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 277 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 278 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 279 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 280 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 285 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 286 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 287 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 288 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 289 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 290 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 291 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 292 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 293 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 294 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 295 रकबा 0.10 है0, कुल किता 16 कुल रकबा 2.85 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दर लाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीमवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—77/20 (2020/00104) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. पप्पुनाथ पिता हीरानाथ जोगी निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नवरतन पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दलपतलाल पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. दिनेशकुमार पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मंजुदेवी पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुशीला पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. आशादेवी पिता कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुन्दरबाई बेवा कनकमल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मदनलाल पिता गेहरीलाल महाजन निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मुर्ति राधाकृष्ण मंदिर नाबाबे पुजारी भैरूलाल वैष्णव निवासी मण्डोल तहसील रायपुर
2. रोड़ा पिता हीरा बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भज्जा पिता हीरा बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. डालु पिता भुरा बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लेहरू पिता भुरा बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लरुमण पिता मांगीलाल बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. श्रवण पिता मांगीलाल बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लाडुलाल पिता मांगीलाल बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. दिनेश पिता कालुराम बलाई निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. भूरसिंह पिता घीसासिंह रावत निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. किशनसिंह पिता घीसासिंह रावत निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. विजयसिंह पिता घीसासिंह रावत निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुकमनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 25.08.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता

है कि ग्राम मण्डोल तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजियात खाता संख्या 165 में अकिंत आराजी संख्या 273 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 277 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 278 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 279 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 280 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 285 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 286 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 287 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 288 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 289 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 290 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 291 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 292 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 293 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 294 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 295 रकबा 0.10 है0, कुल किता 16 कुल रकबा 2.85 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा

रायपुर (भीलवाड़ा)